


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: शुद्धि पत्र ::


पटना-15, दिनांक 1.8.19.....
संख्या-21/बी.पी.एस.सी.(स्था.)-11/2018सा.प्र. 10410.....बिहार लोक सेवा आयोग(कार्य-
सीमन) (संशोधन) विनियमावली, 2019 के अंग्रेजी अनुवाद संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या-9795 दिनांक
22.07.2019 की कंडिका-2(6) में अंकित "it shall not be necessary " के स्थान पर "it shall be necessary " पढ़ा
जाय।

अधिसूचना संख्या 9795 दिनांक 22.07.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।


ज्ञापांक:-21/बी.पी.एस.सी.(स्था.)-11/2018,सा0प्र0.10410...../पटना-15, दिनांक-1.8.19.....

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, ई-गजट शाखा को सी.डी. सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ
प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सामान्य
प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।


सरकार के अपर सचिव।


ज्ञापांक:-21/बी.पी.एस.सी.(स्था.)-11/2018,सा.प्र.10410...../पटना-15, दिनांक-1.8.19.....

प्रतिलिपि:-राज्य सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग,
पटना/उच्च न्यायालय, पटना/महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21/बी.पी.एस.सी.(स्था.)-11/2018,सा0प्र0.10410.....पटना-15, दिनांक-1.8.19.....

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।